

14 $\frac{06}{24}$

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी
अपस्थित नहीं। उनके अनुपस्थित रहने के कारण
प्रार्थना - पत्र से संबंधित मूल दावा अदम
पैरवी अदम दायरी में खारिज हो चुका
है। जिससे यह प्रार्थना - पत्र आगे चलने
योग्य नहीं है।

अतः यह प्रार्थना - पत्र वकील
भ्रम पर खारिज किया जाता है। फावली
निर्णय में शुमार की जावे तथा लखीव
वकील की जाकर दायर दफ्तर की जावे।

६